

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)
प्रकरण संख्या 14/2025

उनवान

1. अशोक पुत्र श्री प्यारचन्द ब्राह्मण नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. श्याम लाल पुत्र श्री प्यारचन्द ब्राह्मण नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. शिवजी पुत्र श्री प्यारचन्द ब्राह्मण नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. संदीप कुमार पुत्र श्री कन्हैया लाल ब्राह्मण नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लादू लाल पुत्र श्री कंवर लाल कुमावत नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)
2. कंकू पुत्री श्री कंवर लाल कुमावत नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)
3. डाली पुत्री श्री कंवर लाल कुमावत नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)
4. किशन लाल पुत्र उदय लाल नाई(सैन) नि० पुर तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)
5. गीता देवी पत्नी श्री बाबू लाल मण्डोवरा नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)
6. भगवती लाल पुत्र श्री मांगी लाल कुमावत नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)
7. राजेन्द्र मालू पुत्र श्री ओमप्रकाश मालू नि० भोपालगंज, भीलवाडा तह० एवं जिला भीलवाडा।(राज.)
8. लादू लाल पुत्र श्री बालू लाल जाट नि० गठिलाखेडा तह० एवं जिला भीलवाडा।(राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 18-03-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23-12-2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ प०ह० हमीरगढ भू०अ०नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की की आ. न. 2712 रकबा 0.4426 है०, आ.न. 2713 रकबा 0.0379 है०, आ.न. 2714 रकबा 0.4805 है०, आ.न. 3809 रकबा 1.0748 कुल कित्ता 04 रकबा 2.0358 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10-01-2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम हमीरगढ प०ह० हमीरगढ भू०अ०नि० हमीरगढ तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा की की आ.न. 2712 रकबा 0.4426 है०, आ.न. 2713 रकबा 0.0379 है०, आ.न. 2714 रकबा 0.4805 है०, आ.न. 3809 रकबा 1.0748 कुल कित्ता 04 रकबा 2.0358 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रू० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)